प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
झांसी।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक : सी.एम.ओ./एन.एच.एम./सह.पर्य. वाहन/सूचना/2019–20/ 2822 दिनांक 09.07.2019

विषय : वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अनुबंधित वाहनों की स्थिति की सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2019–20/30/3153–2(5) दिनांक 08.07.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अनुबंधित वाहनों की स्थिति की सूचना चाही गई है जो निम्नवत आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

क्र.सं.		वाहन सं0	वाहन का प्रकार	वाहन चालक का नाम	मोबाइल न0
1	अपर निदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0 झांसी मण्डल झांसी।	UP93BT5397	Bolero	Mr Dheeraj Gautam	9450744678
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झांसी।	UP16AU2679	Amez	Mr Amit	7985666759
3	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारीझांसी	UP93AT7530	Indigo	Mr Ram Gopal	7236914798
4	बबीना	UP93BT5845	Ford	Mr Amit	9005875468
5	मऊरानीपुर	UP93AP3599	Dzire	Mr Nirdesh Singh	7355306848
6	मोंठ	UP93BT5852	Bolero	Mr Ashok	9935084779
7	गुरसरांय	UP93BT2062	Bolero	Mr Gajendra	7398797518
8	चिरगांव	UP93BT4441	Cruser	Mr Kamta	9119848618
9	बडागांव	UP93AX8325	Bolero	Mr Manoj	7985534127
10	बामौर	UP93BT6005	Bolero	Mr Rakesh	8416829334
11	बंगरा	UP93AQ2978	Bolero	Mr Satendra	9795810677

भवदीय,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
झांसी।

पत्रांक : सी.एम.ओ./एन.एच.एम./सह.पर्य. वाहन/सूचना/2019–20/ दिनांक 09.07.2019

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण झांसी मण्डल झांसी।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डल पी0एम0यू0 झांसी।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0 झांसी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
झांसी।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EK 469492

–: अनुबन्ध पत्र :–

प्रथम पक्ष — मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव'–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद झांसी।

द्वितीय पक्ष — एस0आर0 रिसोर्सिंग एण्ड सिक्योरिटी, झांसी।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झॉसी के अर्न्तगत संचालित "विभिन्न कार्यकमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु आज दिनांक 18.04.2018 को जनपद झांसी में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2019 से 31 मार्च, 2020 तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला झांसी के विकास खण्ड एवं जिला मुख्यालय पर संलग्नक सूची के अनुसार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झॉसी के अर्न्तगत संचालित "विभिन्न कार्यकमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहनों को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा :–
2. सेवाप्रदाता, प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित संलग्नक सूची के अनुसार अनुमोदित निविदा में अंकित दरों पर किराये दर पर वाहन उपलब्ध करायेगा।

- वाहन से कम से कम 25 दिन कार्य दिवस में कार्य लिया जायेगा यदि किसी कारण अधिकारियों द्वारा भ्रमण नहीं किया जाता है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दीष्ट कार्यो में किया जायेगा ।
- वाहन चालक के पास बैध ट्रान्सपोर्ट लाइसेन्स होना अनिवार्य है
- अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई एवं मुख्यालय पर प्रतिदिन कम से कम 8 घण्टें सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा ।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झॉसी के अर्न्तगत संचालित "विभिन्न कार्यकमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत वाहन को माह में कम से कम 1500 किमी0 चलाना होगा। यदि वाहन 1500 किमी0 से कम चलती है तो अनुपातक भुगतान किया जायेगा।

Harpratap Singh

- सेवा प्रदाता को अनुबन्ध के अनुसार धनराशि देय होगी इसके अतिरिक्त चालक का मानदेय, टोल टैक्स,मन्टीनेन्स,टूट–फूट की आदि की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी जिसके लिये कोई दावा विभाग पर मान्य नही होगा।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

3. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र टेक्सी परमिट आदि होना अनिवार्य है।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
5. वाहन को 24 घन्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रू0 1000/– प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसायटी के नाम रू0 5,000/– प्रति वाहन की दर से धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झॉसी के अर्न्तगत संचालित "विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नंबर कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहनचालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. द्वितीय पक्ष को टैक्सी परमिट वाहन का निर्धारित अधिकतम शुल्क रू0 29440/– समस्त कर सहित प्रति माह देय होगा।
10. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घन्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
11. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
12. सभी वाहनो की नियमानुसार लॉग बुक तैयार की जायेगी एंव उसका रख –रखाव जनपद/ब्लाक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा एंव बिलों के साथ उसकी सत्यापित छाया प्रति सलग्न करने पर ही उसका भुगतान किया जायेगा। एक वाहन की एक ही लॉग बुक बनाये जाने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

Harpratap Singh

15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाव सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

क.सं.		वाहन सं0	वाहन का प्रकार	वाहन चालक का नाम	मोबाइल न0
1	अपर निदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0 झांसी मण्डल झांसी।	UP93BT5397	Bolero	Mr Dheeraj Gautam	9450744678
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झांसी।	UP16AU2679	Amez	Mr Amit	7985666759
3	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी / नोडल अधिकारी झांसी।	UP93AT7530	Indigo	Mr Ram Gopal	7236914798
4	बबीना	UP93BT5845	Ford	Mr Amit	9005875468
5	मऊरानीपुर	UP93AP3599	Dzire	Mr Nirdesh Singh	7355306848
6	मोंठ	UP93BT5852	Bolero	Mr Ashok	9935084779
7	गुरसरांय	UP93BT2062	Bolero	Mr Gajendra	7398797518
8	चिरगांव	UP93BT4441	Cruser	Mr Kamta	9119848618
9	बडागांव	UP93AX8325	Bolero	Mr Manoj	7985534127
10	बामौर	UP93BT6005	Bolero	Mr Rakesh	8416829334
11	बंगरा	UP93AQ2978	Bolero	Mr Satendra	9795810677

स्थान–

दिनांक–

हस्ताक्षर Har Pratap Singh

द्वितीय पक्ष

नाम– हर प्रताप सिंह
प्रो0 एस0 आर0 सिक्योरिटी
एण्ड सिक्योरिटी – झांसी
9889199404

हस्ताक्षर

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति
जनपद झाँसी।

दो गवाहों के नाम, हस्ताक्षर एवं पता

1. Apandey
नाम अनूप कुमार पाण्डेय
पता S/o स्व0 श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय
76 सिविल लाइन झांसी
मो0नं0 7007985676

2. निर्देश
नाम निर्देश सिंह
पता S/o स्व0 श्री हरनाम सिंह
72 सी0पी0 मिशन कम्पाउन्ड झाँसी
मो0नं0 7355306848